



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062020-219929  
CG-DL-E-13062020-219929

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1673]  
No. 1673]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2020/ज्येष्ठ 22, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2020/JYAISHTHA 22, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2020

**का.आ. 1876(अ).**—एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1653 (अ), तारीख 16 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

**और**, उक्त प्रारूप अधिसूचना से युक्त करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 16 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

**और**, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

**और**, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र त्रिस्तरीय नदी संरक्षित क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों को पार करता है;

**और**, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के आगरा जिलों में स्थित है और यह लगभग 635.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, अभयारण्य में उपलब्ध प्रमुख वनस्पतियां अचिरन्थेस एस्पेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, बॉम्बैक्स सीइबा, वाउहिनिया पुरपुरिया, कैसिया ओसिडेंटलिस, कैसिया तोरा, तामरिंडस इंडिका, कैनबिस सतीवा, इपोमोया एसपी., कसकुटा रिफ्लेक्सा, रिकिनस कम्युनिस, डालबर्गिया सिस्सू, पोंगामिया ग्लाबरा, अज़ाडिराचटा इंडिका, मेलिया अज़ेडोरच, अकैसिया निलोटिका, आदि हैं;

और, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य में नीलगाय (बोसेलाफस ट्रागोकैमेलस), बनैला सूअर (सूस स्क्रोफा), साही (एरेथिजोन डोरसटम), ब्लैक-नैण्ड हेर (लेपस निग्रिकोलिस), भारतीय लोमड़ी (वल्पस बेंगालेंसिस), गोल्डन जैकाल (कैनिस ऑरियस), लकड़बग्घा (क्रोकटा क्रोकटा), भारतीय भेड़िया (कैनिस ल्यूपस पैलिपेस), स्मूथ-कोटेड ओटर (लुट्रोगेल पर्सिसिलाटा), आदि के प्राकृतिक वास है। यह बहुत महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है प्राकृतिक जहां घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस) जैसे सरीसृपों को स्वच्छ जल का संरक्षण प्राप्त है;

और, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य है, जैसे कि बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियों में समृद्ध ब्लैक फ्रेंकोलिन (फ्रेंकोलिनस फ्रेंकोलिनस), ग्रे बटेर (कोटर्निकस पेक्टोरलिस), सामान्य मोर (पावो क्रिस्टेटस), व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर (हैलियोन स्माइरेनेन्सिस), भारतीय रोलर (कोरासियस बेंथालेंसिस), क्रो-फिजंट (सेंट्रोपस सिनेनसिस) रोजरिड पैराकिट (सिट्टाकुला क्रामेरी), चित्तीदार कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया चिनेंसिस), ब्लू रॉक कबूतर (कोलंबा लिविया), सॉरस क्रेन (ग्रस एंटीगोन), डेमोसिसले क्रेन (ग्रस विगो), रोसी पेलिकन (पेलेकिनस ओनोक्रोटालस), रोजी पेलिकन (पेलेकिनस ओनोक्रोटेलेस), तालाब बगुला (आर्देओला ग्रेई), लिटिल एग्रेट (एग्रेटा गार्जेटा), नाइट बगुला (नक्तिकोरेक्स), लेसर फ्लेमिंगो (पाँडनिकोप्टेरस माइनर), ग्रेटर फ्लामोंगो (पोएनिकोप्टेरस रूबर), पेटेड स्टॉक (माइएक्टेरिया ल्यूकोसेफला), ओपेनबिल स्टॉक (एनास्टोमस ओसिटैन्स), वूलीनेकड स्टॉक (सिकोनिया एपिसकोपस), ब्लैक आइबिस (स्यूडिसिस पेपिलोसा), हनी बजर (पेरनिस टिलोरिन्कस), शिकरा (एसिपिटेर बैडियस), एजिप्टियन गिद्ध (नियोफरोन पेरनोपटोरस), मार्श हैरियर (सर्कस एरुगिनोसस), क्रेस्टेड सर्फेड इगल (स्पिलोरनिस चीला), ब्लैकविंग्ड स्टिल्ट (हिमैन्टोपस हेयेंटोपस), एवोसेट (रिकुरविरोस्ट्रा एवोसेटा), रिवर लैपविंग (वैनेलस डुवुसेलि), सामान्य सैंडपाइपर (ट्रिंगा हाइपोलुकोस), ब्राउन हेडेड गूल (लार्स ब्रुनिसेफालस), व्हाइट-विंग्ड टर्न (क्लिडोनियस ल्यूकोप्टेरस), स्वलोव (हीरंडो रस्टिका), ब्लैक ड्रोंगो (डिब्र्यूरस एडसिमिलिस), रूफस ट्रीपी (डेंड्रोकिट्टा वेजुन्बुडा), रेडवेटेड बुलबुल (पाईनोनोटस कैफर), जंगल वैबर (ट्रडोइडेस स्ट्रीएटस), मैगपाई रॉबिन (कोप्सिकस सैलारिस), येलो वैगटेल (मोटाकिला फ्लेवा), ग्रे वैगटेल (मोटाकिल्ला सिनेरिया), रेड मुनिया (एस्ट्रिल्डा अमंडवा), हैं;

और, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली दुर्लभ, संकटग्रस्त, लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियाँ सरीसृप घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस), मार्श मगरमच्छ (क्रोकोडायल पेलुस्ट्रिस), फ्लैप शेल टर्टल (लिसेमीस पैंकटाटा), सॉफ्ट शेल टर्टल (ट्रायोनिकस गैंगेटिकस), नेरोव हेडेड कछुआ (चित्रा इंडिका), रेड क्राउंड कछुआ (कछुगा कछुगा), श्री स्ट्रीण्ड कछुआ (कछुगा धोंगोका), इंडियन रुफड कछुआ (कछुगा टेक्टा), इंडियन टेंट कछुआ (कछुगा टेनोरिया), क्राउंड रीवर कछुआ (हरडेला थुरजी), आदि हैं। अभयारण्य में स्तनधारी भी पाए जाते जैसे फ्रेश वाटर डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका), रीसस मकाक (मकाका मुलाटा), हनुमान लंगूर (प्रेस्विटिस एन्टेलस), गोल्डन सियार (कैनिस ऑरियस), भेड़िया (कैनिस ल्यूपस), लोमड़ी (वुलस बेंगालेंसिस), स्मूथ कोटेड ओटर (लुट्रा परसपिसिलाटा), कॉमन पाल्म सिवेट (पैराडाँक्सुरस हेमैफ्रोडिटस), भारतीय छोटा नेवला (हर्पेस्टेस एरोपंकटैटस), भारतीय ग्रे नेवला (हर्पेस्टेस एडवर्सी), धारीदार लकड़बग्घा (हाइना हाइना), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), जंगली सूअर (सूस स्क्रोफा), सांभर (करवस यूनीकोलर), नीलगाय (बोसेलफस ट्रागोकैमेलस), काला हिरण (एंटीलोप करविकाप्रा), भारतीय गज़ेल (चिंकारा) (गजेला बेनेटेटी), उत्तरी प्लम गिलहरी (फनंबुलुस पेनानटी), साही (हैस्ट्रीक्स

इंडिका) भारतीय खरगोश (लेपस निगरिकोलिस), फ्लाइंग लोमड़ी (टेरोपस गिगैटैयस), हेडजहॉग (हेमीचिनस माइक्रोपस), आदि, हैं;

और, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

और, उपर्युक्त प्रारूप अधिसूचना 545 दिनों में पूरी हुई और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (4) के अधीन अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की प्रदत्त शक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन किया गया।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहाँ गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा जिले में सीमाओं के चारों ओर शून्य से 1.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जनहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता के बिना; जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 1.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 178.98 वर्ग किलोमीटर है। (मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा को छूने के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है)

(2) राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।

(3) राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र उसकी सीमाओं के ब्यौरे तथा अक्षांशों और देशांतरों के साथ उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख, उपाबंध-II ग, उपाबंध-II घ और उपाबंध-II ङ के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III के सारणी क और ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों की पुनः बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले अनुसमर्थित मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत ग्रहवास सम्मिलित है; और
- (iv) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परन्तु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट स्वीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

**सारणी**

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
<b>अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी।  (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी:  परन्तु यह कि फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक, कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।



5.	वृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	ईट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
<b>आ. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
9.	होटलों और रिजॉर्टों का वाणिज्यिक स्थापन ।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथालागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।</p>
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी।</p> <p>परन्तु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे ।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।</p>
11.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्त्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
12.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।

13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
14.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
15.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
16.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
18.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
19.	विद्युत और संचार टॉवरो का परिनिर्माण और तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा (भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
21.	होटल और लॉज के मौजूदा परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
22.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
23.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
24.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
25.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
26.	ट्रेकिंग और कैंपिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
27.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।

30.	फर्मों, निगमों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचनाएं।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
<b>इ. संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
32.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारिगर भी है।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	आयुक्त आगरा मंडल, आगरा	अध्यक्ष, पदेन
(ii)	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य परियोजना, आगरा	सदस्य;
(iii)	पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा और इटावा	सदस्य;
(iv)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य;
(vii)	कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, आगरा और इटावा	सदस्य;
(viii)	सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता, आगरा और इटावा	सदस्य;

(ix)	जिला कृषि अधिकारी, आगरा और इटावा	सदस्य;
(x)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला आगरा और इटावा	सदस्य;
(xi)	वन संरक्षक, आगरा सर्किल, आगरा	—सदस्य सचिव।

**6. निर्देश निबंधन:-** (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात् मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध-V** में संलग्न प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

**7.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

**8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा.सं. 25/11/2017-ईएसजेड]

डॉ.सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

## उपाबंध-

## उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए सीमा का विवरण

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में फैला है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एक संरेखीय अभयारण्य है इसकी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली भौतिकी सीमा का दक्षिणावर्त विवरण निम्न प्रकार है।

यह पीनाहट-राजखेड़ा मार्ग पर बाह रेंज के तसोद (जीपीएस उ 26°51.912' पू 078°12.319') से आरंभ होती है। यहां से यह 1 किलोमीटर की दूरी तक दक्षिणावर्त दिशा में जाकर यह अनुरुधापुरा के प्राथमिक विद्यालय के निकट से गुजरती है। कि कृषि भूमि से होते हुए यह मनशुकपुरा (जीपीएस उ 26°52.257' पू 078°14.443') की कच्ची सड़क को पार करती है। इसके बाद करकौली (जीपीएस उ 26°54.217' पू 078°18.109') की कृषि भूमि से होते हुए गांव नयाबांस (जीपीएस उ 26°54.999' पू 078°20.939') तक जाती है। पुनः कृषिभूमि से होते हुए यह पीनाहट-अरौटा सड़क (जीपीएस उ 26°53.947' पू 078°22.562') को पार करती है। इसके बाद, कृषि भूमि (जीपीएस उ 26°52.337' पू 078°24.212') की पीनाहट-नदगवन सड़क अर्थात् उतसना ग्राम के साथ जाती है। यह सीकातारा (जीपीएस उ 26°52.486' पू 078°24.645') ग्राम से होते हुए कृषि भूमि से होकर कृषि भूमि एवं बदौस ग्राम (जीपीएस उ 26°51.079' पू 078°27.182') एवं चौराहा ग्राम से होते हुए जाती है फिर यह झौला का पुरा (जीपीएस उ 26°49.825' पू 078°31.312') ग्राम पहुंचती है। फिर यह देवपुरा ग्राम (जीपीएस उ 26°48.360' पू 078°38.939') से जुड़कर सड़क भाग पर पीनाहट-नदगवन सड़क की दक्षिणावर्त दिशा की ओर जाती है।


इसके बाद कृषि भूमि से होते हुए दक्षिणावर्त दिशा में नदगवन जयपुर सड़क के साथ जाकर प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पहरपुर ग्राम (जीपीएस उ 26°49.425' पू 078°41.567') के ईटभट्टा पहुंचती है। फिर पथरामपुरा ग्राम से दक्षिणावर्त दिशा में बह- उदी सड़क के साथ जाकर उधनपुरा रेलवे पुल (जीपीएस उ 26°50.171' पू 078°47.744') से होकर कृषि भूमि से होते हुए राम नगरीय (जीपीएस उ 26°49.176' पू 078°45.282') के रेलवे पुल से गुजरती है पुनः शाहपुर गुजर से कृषि भूमि एवं बहश्रेणी (जीपीएस उ 26°48' 12.1" पू 078°47' 22.1") की पूर्वी सीमा से 1 किलोमीटर दक्षिणावर्त दिशा में जाती है इसके बाद बहादुरपुर ग्राम (जीपीएस उ 26°48' 1.45" पू 078°47' 57.45") के निकट जाकर पछयागांव चौराहा (जीपीएस उ 26°46' 11.12" पू 078°51' 47.48") के सामने में बह-उदी सड़क के साथ कृषि भूमि से होकर नायकपुरा, कुमहेरा, चंद्रपुरा खुर्द एवं मंकापुरा ग्राम की कृषि भूमियों से गुजरते हुए बधपुरा (जीपीएस उ 26°44' 26.11" पू 078°55' 12.43") के सामने रेलवे लाइन के निकट पहुंचती है। इसके बाद यह उदी- इटवा सड़क (जीपीएस उ 26°43' 30.72" पू 078°57' 46.98") को पार करके मीहौली सड़क (जीपीएस उ 26°39' 48.71" पू 079°01' 19.12") के निकट टावर के सामने और नगला अजीन, रमी का वार, पौथन ग्राम की कृषि भूमियों से होते हुए चकरनगर की ओर जाती है। फिर यह उदी-चकरनगर सड़क के साथ जाकर चकरनगर से लखाना सड़क की ओर और कसौआ, नगला कथोरी, नीमाधद ग्राम की कृषि भूमियों से होते हुए दिभौली पुल (जीपीएस उ 26°36' 38.72" पू 079°07' 12.78") तक पहुंचती है।

यमुना नदी के दिभौली पुल से प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा अंदावा की मदिया की ओर निजी क्षेत्र वन भूमि से होते हुए सीकरोदी पुल (जीपीएस उ 26°32' 35.41" पू 079°14'56.17") को पार करती है। पुनः असेवा ग्राम (जीपीएस उ 26°28' 43.31" पू 079°16' 53.15") पहुंचकर निजी भूमि/वन क्षेत्र से होते हुए अन्नौरूधा नगर नगला महेव बरदौली ग्राम से होकर ततारपुर (जीपीएस उ 26°26' 00.68" पू 079°13' 46.26") तक जाती है। इसके बाद, यमुना को पार करके ततारपुर के निकट जाती है। फिर जगमनपुर सड़क


(जीपीएस उ 26°25' 49.73" पू 079°12' 48.91") के निकट कनजौसा पुल से होकर हनुमानपुर-सीदौस सड़क पर सीनदन (जीपीएस उ 26°26' 36.678" पू 079°09' 09.35") पहुंचकर निजी भूमि/क्षेत्र भूमि से होते हुए कनजौसा पुल से कवरी नदी के तट पर चौरैला ग्राम (जीपीएस उ 26°28' 35.66" पू 079°05' 52.32") के निकट से होते हुए गुजरती है। फिर यह मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा से होकर मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश (जीपीएस उ 26°35' 43.91" पू 079°58' 52.88") की राज्य सीमा के वीनदवन ग्राम के निकट पहुंचती है और चम्बल नदी (जीपीएस उ 26°36' 35.00" पू 079°00'35.02") के तट के निकट स्थित बिंदु पर पहुंचती है।

उपाबंध - IIक

भारत के तीन राज्यों में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र




भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध – IIग


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य का डिजिटल मानचित्र






उपाबंध – IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध – II

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र



## उपाबंध-III

सारणी अ : राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

पूर्वी भाग के राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के साथ भू-निर्देशांक		
क्र. सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	26°46'9.19" उ	78°45'53.87" पू
2	26°45'37.00" उ	78°49'14.28" पू
3	26°42'7.51" उ	78°51'47.33" पू
4	26°41'51.07" उ	78°56'5.95" पू
5	26°39'28.13" उ	78°56'43.43" पू
6	26°38'36.39" उ	78°59'39.48" पू
7	26°36'49.77" उ	78°0'43.21" पू
8	26°35'34.86" उ	78°58'45.66" पू
9	26°34'43.12" उ	79°0'0.12" पू
10	26°32'42.80" उ	79°0'22.62" पू
11	26°30'49.59" उ	79°2'25.90" पू
12	26°29'11.21" उ	79°4'38.47" पू
13	26°27'6.69" उ	79°10'32.09" पू
14	26°26'22.99" उ	79°12'42.97" पू
15	26°26'28.35" उ	79°13'16.82" पू
16	26°28'43.78" उ	79°16'18.33" पू
17	26°31'25.92" उ	79°18'13.44" पू
18	26°33'24.48" उ	79°12'37.77" पू
19	26°36'6.60" उ	79°7'12.09" पू
20	26°34'54.36" उ	79°4'11.78" पू
21	26°38'16.37" उ	79°0'57.64" पू
22	26°41'0.24" उ	78°59'51.53" पू
23	26°43'55.34" उ	78°55'1.17" पू
24	26°47'34.12" उ	78°47'28.79" पू

पश्चिमी भाग के राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के साथ भू-निर्देशांक		
1	26°51'57.80"उ	78°12'3.60"पू
2	26°49'45.17"उ	78°12'50.43"पू
3	26°48'52.34"उ	78°16'7.16"पू
4	26°51'58.08"उ	78°21'58.36"पू
5	26°49'30.30"उ	78°25'48.32"पू
6	26°46'43.94"उ	78°31'29.40"पू
7	26°46'18.88"उ	78°37'36.25"पू
8	26°47'38.70"उ	78°42'48.76"पू
9	26°46'9.30"उ	78°45'53.75"पू
10	26°47'36.08"उ	78°47'28.65"पू
11	26°49'31.47"उ	78°42'58.66"पू
12	26°48'52.83"उ	78°36'42.95"पू
13	26°49'7.33"उ	78°33'53.38"पू
14	26°50'5.52"उ	78°28'14.68"पू
15	26°53'38.74"उ	78°21'39.73"पू
16	26°52'22.77"उ	78°15'42.88"पू

सारणी आ: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

पूर्वी भाग के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक		
क्र. सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	26°25'49.73"उ	79°12'48.91"पू
2	26°26'0.68"उ	79°13'46.26"पू
3	26°26'36.67"उ	79°9'9.35"पू
4	26°28'35.66"उ	79°5'52.32"पू
5	26°28'43.31"उ	79°16'53.15"पू
6	26°32'35.41"उ	79°14'56.17"पू
7	26°35'43.91"उ	78°58'52.88"पू
8	26°36'38.72"उ	79°7'12.78"पू
9	26°39'48.71"उ	79°1'19.12"पू
10	26°43'30.72"उ	78°57'46.98"पू
11	26°44'26.11"उ	78°55'12.43"पू
12	26°46'11.12"उ	78°51'47.48"पू
13	26°47'34.20"उ	78°49'7.04"पू

14	26°47'36.50"उ	78°47'27.10"पू
15	26°48'1.45"उ	78°47'57.45"पू

पश्चिमी भाग के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक		
क्र. सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	26°48'0.81"उ	78°47'52.12"पू
2	26°48'19.83"उ	78°39'23.25"पू
3	26°49'7.78"उ	78°46'11.07"पू
4	26°49'18.44"उ	78°32'51.91"पू
5	26°49'22.49"उ	78°36'54.74"पू
6	26°49'58.40"उ	78°30'21.70"पू
7	26°50'18.98"उ	78°41'15.98"पू
8	26°52'26.38"उ	78°11'45.47"पू
9	26°52'34.77"उ	78°24'46.41"पू
10	26°52'39.85"उ	78°15'14.35"पू
11	26°54'6.22"उ	78°15'49.16"पू
12	26°54'10.78"उ	78°21'43.87"पू

## उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ पूर्वी और पश्चिमी भागों के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के चारों ओर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	भाग	अक्षांश	देशांतर
1.	अहेरिया	पूर्वी भाग	26° 34' 39.90" उ	79° 5' 11.22" पू
2.	अंदावाकीमांधीया		26° 33' 50.10" उ	79° 11' 36.06" पू
3.	अनुरूद्धनगर		26° 28' 25.20" उ	79° 16' 15.00" पू
4.	असेवा		26° 29' 12.50" उ	79° 16' 16.70" पू
5.	असेवाता		26° 30' 4.60" उ	79° 16' 18.30" पू
6.	बदैरा		26° 32' 51.89" उ	79° 13' 42.49" पू
7.	बहादुरपुरा		26° 47' 52.20" उ	78° 47' 47.46" पू
8.	बरदोली		26° 26' 53.30" उ	79° 14' 22.90" पू
9.	बावैन		26° 28' 43.00" उ	79° 16' 35.20" पू
10.	चाकरनागर		26° 34' 22.44" उ	79° 6' 9.48" पू
11.	चांदपुरकलां		26° 45' 49.01" उ	78° 51' 28.33" पू
12.	चोरेला		26° 27' 19.00" उ	79° 9' 42.00" पू
13.	दलीय नगर		26° 34' 42.30" उ	79° 11' 36.00" पू

14.	गोहनी	26° 31' 37.90" उ	79° 15' 0.39" पू
15.	जीतपुर	26° 45' 4.32" उ	78° 52' 40.74" पू
16.	कीथोली	26° 30' 7.80" उ	79° 16' 42.10" पू
17.	कंजोसा	26° 26' 5.80" उ	79° 12' 37.50" पू
18.	कसोआ	26° 38' 26.28" उ	79° 0' 53.94" पू
19.	मंडियादीलीपनगर	26° 35' 29.16" उ	79° 9' 19.86" पू
20.	मनीकपुरा	26° 44' 18.81" उ	78° 54' 30.52" पू
21.	मनीनगर	26° 46' 19.62" उ	78° 50' 33.96" पू
22.	नगल्लाजईत	26° 43' 1.80" उ	78° 57' 5.40" पू
23.	नगलाबनारस	26° 27' 25.20" उ	79° 15' 35.10" पू
24.	नगलाकरोरी	26° 36' 16.20" उ	79° 2' 16.44" पू
25.	नगलामाहैवा	26° 27' 25.20" उ	79° 15' 35.00" पू
26.	नीमदांदा	26° 34' 28.68" उ	79° 4' 30.96" पू
27.	पञ्चायेंगोनमोदे	26° 45' 8.93" उ	78° 51' 8.14" पू
28.	दिलीय नगर	26° 35' 36.06" उ	79° 10' 35.82" पू
29.	फुटाटाल	26° 34' 47.82" उ	79° 4' 51.66" पू
30.	पूथान	26° 42' 16.08" उ	78° 58' 58.20" पू
31.	पुरानीधासिंह	26° 47' 6.42" उ	78° 49' 11.28" पू
32.	रामीकावर	26° 42' 36.60" उ	78° 58' 29.94" पू
33.	रामपुरा	26° 29' 58.10" उ	79° 16' 42.10" पू
34.	सागरा	26° 34' 35.70" उ	79° 6' 16.02" पू
35.	साराताल	26° 46' 38.40" उ	78° 50' 6.36" पू
36.	सिकरोरी	26° 32' 25.30" उ	79° 14' 36.00" पू
37.	सीतापुर	26° 46' 51.06" उ	78° 50' 12.48" पू
38.	तीलकसिबह का पुरा	26° 47' 11.46" उ	78° 48' 54.90" पू
39.	ततारपुर	26° 26' 39.60" उ	79° 13' 46.00" पू
40.	उदीमोदे	26° 43' 7.20" उ	78° 57' 25.08" पू
41.	उघन्नपुरा	26° 44' 46.32" उ	78° 53' 30.24" पू

क्र.सं.	ग्राम का नाम	भाग	अक्षांश	देशांतर
1.	अभयपुर	पश्चिमी भाग	26° 49' 16.00" उ	78° 33' 13.70" पू
2.	बघराइनाहार		26° 50' 48.60" उ	78° 27' 1.70" पू
3.	चाचीहा		26° 50' 26.37" उ	78° 23' 11.73" पू
4.	चाकरपांपुरा		26° 49' 2.60" उ	78° 31' 57.70" पू
5.	छाद्दामीपुरा		26° 51' 55.20" उ	78° 25' 12.00" पू
6.	चुन्नीलालकपुरा		26° 49' 26.50" उ	78° 31' 11.40" पू

7.	गरीपरातप्पुरा	26° 48' 0.00" उ	78° 46' 0.30" पू
8.	गरीरामपुरा	26° 49' 25.88" उ	78° 40' 38.09" पू
9.	इसयोयपुरा	26° 49' 24.21" उ	78° 45' 10.58" पू
10.	जइटपुराकलां	26° 49' 44.64" उ	78° 41' 34.62" पू
11.	करनपुरा	26° 48' 0.16" उ	78° 38' 41.34" पू
12.	करकोलीपुरा	26° 53' 58.90" उ	78° 18' 10.60" पू
13.	खजुरीयांपुरा	26° 49' 0.73" उ	78° 35' 22.92" पू
14.	कोरथनाह	26° 48' 0.00" उ	78° 46' 52.70" पू
15.	कुकापुरा	26° 48' 48.68" उ	78° 46' 35.54" पू
16.	कुरकीअनपुरा	26° 52' 0.50" उ	78° 12' 15.50" पू
17.	कयोरीहार	26° 51' 31.00" उ	78° 25' 9.70" पू
18.	मजतीला	26° 49' 24.50" उ	78° 36' 44.53" पू
19.	मंसुखपुराकापुरवा	26° 52' 4.80" उ	78° 14' 25.10" पू
20.	मुकुंदीपुरा	26° 49' 11.35" उ	78° 31' 39.52" पू
21.	नयेपुरा	26° 49' 40.14" उ	78° 44' 27.31" पू
22.	ओंधा	26° 53' 58.70" उ	78° 17' 27.80" पू
23.	पदुअपुराहार	26° 53' 44.80" उ	78° 19' 39.20" पू
24.	पापरीनागर	26° 53' 53.40" उ	78° 16' 8.40" पू
25.	पुरानुरुधा	26° 52' 39.90" उ	78° 12' 7.90" पू
26.	पुरावासोनी	26° 49' 51.84" उ	78° 27' 35.04" पू
27.	रीपुरादीकछात	26° 48' 46.62" उ	78° 40' 31.26" पू
28.	रामनगरीया	26° 49' 0.00" उ	78° 45' 14.10" पू
29.	रानीबाग	26° 48' 41.16" उ	78° 37' 6.78" पू
30.	शारदादेवी	26° 49' 41.52" उ	78° 29' 42.24" पू
31.	साहपुरागुजर	26° 48' 0.00" उ	78° 47' 36.70" पू
32.	सीजवारीपुरा	26° 49' 36.30" उ	78° 42' 31.80" पू
33.	सुराकापुरा	26° 49' 0.00" उ	78° 45' 26.80" पू
34.	उधांपुरा	26° 49' 56.74" उ	78° 43' 29.49" पू
35.	उमरीथाहार	26° 51' 11.40" उ	78° 25' 46.70" पू
36.	वारकापुरा	26° 52' 29.50" उ	78° 24' 14.00" पू
37.	वीरामपुर	26° 49' 2.04" उ	78° 30' 39.00" पू
38.	वीपरावालीहार	26° 53' 54.30" उ	78° 21' 30.50" पू

## उपाबंध-V

## की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10<sup>th</sup> June, 2020

**S.O. 1876(E).**—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1653 (E), dated the 16<sup>th</sup> April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS**, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 16<sup>th</sup> April, 2018;

**AND WHEREAS**, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

**AND WHEREAS**, the National Chambal Wildlife Sanctuary is the first and only tri-states riverine protected area of India that crosses the states of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh;

**AND WHEREAS**, the National Chambal Wildlife Sanctuary located in Agra district of Uttar Pradesh is spread over an area of about 635.00 square kilometres;

**AND WHEREAS**, major flora available in the sanctuary are *Achyranthes aspera*, *Calotropis procera*, *Bombax ceiba*, *Bauhinia purpurea*, *Cassia occidentalis*, *Cassia tora*, *Tamarindus indica*, *Cannabis sativa*, *Ipomoea sp.*, *Cuscuta reflexa*, *Ricinus communis*, *Dalbergia sissoo*, *Pongamia glabra*, *Azadirachta indica*, *Melia azedarach*, *Acacia nilotica*, etc.;

**AND WHEREAS**, National Chambal Wildlife Sanctuary is the habitat of nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), wild boar (*Sus scrofa*), porcupine (*Erethizon dorsatum*), black-naped hare (*Lepus nigricollis*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), golden jackal (*Canis aureus*), hyena (*Crocuta crocuta*), Indian wolf (*Canis lupus pallipes*), smooth-coated otter (*Lutrogale perspicillata*), etc. It is the most important protected area to give protection to freshwater reptiles including Gharial (*Gavialis gangeticus*);



**AND WHEREAS**, the National Chambal Wildlife Sanctuary is the habitat of bird and rich in large number bird species such as black francolin (*Francolinus francolinus*), grey quail (*Coturnix pectoralis*), common peafowl (*Pavo cristatus*), whitebreasted kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), Indian roller (*Coracias benghalensis*), crow-pheasant (*Centropus sinensis*), roseringed parakeet (*Psittacula krameri*), spotted dove (*Streptopelia chinensis*), blue rock pigeon (*Columba livia*), sarus crane (*Grus antigone*), demoiselle crane (*Grus virgo*), rosy pelican (*Pelecanus onocrotalus*), pond heron (*Ardeola grayii*), little egret (*Egretta garzetta*), night heron (*Nycticorax*), lesser flamingo (*Poenicopterus minor*), greater flamingo (*Poenicopterus ruber*), painted stork (*Mycteria leucocephala*), openbill stork (*Anastomus oscitans*), woollynecked stork (*Ciconia episcopus*), black ibis (*Pseudibis papillosa*), honey buzzard (*Pernis ptilorhynchus*), shikra (*Accipiter badius*), Egyptian vulture (*Neophron percnopterus*), marsh harrier (*Circus aeruginosus*), crested serpent eagle (*Spilornis cheela*), blackwinged stilt (*Himantopus himantopus*), avocet (*Recurvirostra avosetta*), river lapwing (*Vanellus duvaucelii*), common sandpiper (*Tringa hypoleucos*), brown-headed gull (*Larus brunnicephalus*), white-winged tern (*Chlidonias leucopterus*), swallow (*Hirundo rustica*), black drongo (*Dicrurus adsimilis*), rufous treepie (*Dendrocitta vagabunda*), redvented bulbul (*Pycnonotus cafer*), jungle babber (*Turdoides striatus*), magpie robin (*Copsychus saularis*), yellow wagtail (*Motacilla Flava*), grey wagtail (*Motacilla cinerea*), red munia (*Estrilda amandava*), etc.;

**AND WHEREAS**, the rare, threatened, endangered and endemic species found in National Chambal Wildlife Sanctuary are reptiles such as gharial (*Gavialis gangeticus*), marsh crocodile (*Crocodylus palustris*), flap shell turtle (*Lissemys Punctata*), soft shell turtle (*Trionyx gangeticus*), narrow headed turtle (*Chitra indica*), red crowned turtle (*Kachuga kachuga*), three striped turtle (*Kachuga dhongoka*), Indian roofed turtle (*Kachuga tecta*), Indian tent turtle (*Kachuga tentoria*), crowned river turtle (*Hardella thurjii*), etc. Mammals such as fresh water dolphin (*Platanista gangetica*), rhesus macaque (*Macaca Mulatta*), hanuman langur (*Presbytis entellus*), golden jackal (*Canis aureus*), wolf (*Canis lupus*), fox (*Vulpes bengalensis*), smooth coated otter (*Lutra perspicillata*), common plam civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), Indian small mongoose (*Herpestes auropunctatus*), Indian grey mongoose (*Herpestes edwardsii*), striped hyaena (*Hyaena hyaena*), jungle cat (*Felis chaus*), wild boar (*Sus scrofa*), sambar (*Cervus unicolor*), nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), blackbuck (*Antilope cervicapra*), indian gazelle (chinkara) (*Gazella bennettii*), northern plam squirrel (*Funambulus pennantii*), porcupine (*Haystrix indica*), Indian hare (*Lepus nigricollis*), flying fox (*Pteropus giganteus*), hedgehog (*Hemiechinus micropus*), etc. are also found in the Sanctuary;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of National Chambal Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**AND WHEREAS**, the above draft notification completed 545 days and the approval of the competent authority was taken for publication of final notification exercising powers under sub-rule (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 1.0 kilometre around the boundary of the National Chambal Wildlife Sanctuary, in Agra district in the State of Uttar Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) without the requirement of the notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest; and details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent varying from zero to 1.0 kilometre around the boundary of the National Chambal Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 178.98 square kilometres for the State Uttar Pradesh (*The zero extent of Eco-sensitive Zone is due to interstate boundary touching Madhya Pradesh*).
- (2) The boundary description of the National Chambal Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The maps of the National Chambal Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID and Annexure-IIIE**.

- (4) List of geo-coordinates of the boundary of the National Chambal Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.** - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment;
  - (ii) Forest and Wildlife;
  - (iii) Agriculture;
  - (iv) Revenue;
  - (v) Urban Development;
  - (vi) Tourism;
  - (vii) Rural Development;
  - (viii) Irrigation and Flood Control;
  - (ix) Municipal;
  - (x) Panchayati Raj; and
  - (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.** - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -
- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:
- Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a), above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable

and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.** -The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.** - (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or up to the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.** - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.** - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
  - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
  - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.** – Bio Medical Waste Management shall be as under: -
  - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
  - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.** - The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

**(16) Industrial units.**— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of hill slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:  Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
5.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
10.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
11.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
12.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	farms by firms, corporate and companies.	
14.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent Authority in the State Government.  (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
25.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
26.	Trekking and camping.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
31.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
<b>C. Promoted Activities</b>		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
41.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
42.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

- 5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.** - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -



S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Commissioner Agra Mandal, Agra	Chairman, ex officio
(ii)	Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, Agra	Member;
(iii)	Superintendent of Police or Senior Superintendent of Police, Agra and Etawah	Member;
(iv)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(v)	One expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vi)	One representative of a Non-Government Organisation working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government.	Member;
(vii)	Executive Engineer of Public Works Department (PWD), Agra and Etawah	Member;
(viii)	Executive Engineer of Irrigation Department, Agra and Etawah	Member;
(ix)	District Agriculture Officer, Agra and Etawah	Member;
(x)	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Agra and Etawah	Member;
(xi)	Conservator of Forests, Agra Circle, Agra	Member-Secretary.

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/11/2017-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

### ANNEXURE- I

#### **BOUNDARY DESCRIPTION FOR ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NATIONAL CHAMBAL WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE UTTAR PRADESH**

National Chambal Wildlife Sanctuary is a tri-state sanctuary which is extended in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. Its linear sanctuary, clockwise description of physical boundary of Eco-sensitive Zone of National Chambal Wildlife Sanctuary, Uttar Pradesh. Part is as follows:


It starts from Tasod (GPS N 26°51.912' E 078°12.319') Western boundary of Bah range at Pinahat-Rajakheda Road. In Clockwise direction at 1km distance from here, it passes near Primary School of Anuruddhapura. While passing through farmland it crosses Kuccha Road of Manshukpura (GPS N 26°52.257' E 078°14.443') then through farmland of Karkauli (GPS N 26°54.217' E 078°18.109') it goes to village Nayabans (GPS N 26°54.999' e 078°20.939'). Again through farmalands it crosses Pinahat –Araota Road (GPS N 26°53.947' E 078°22.562') then along Pinahat-Nadgawan road, via Utsana village through farmland (GPS N 26°52.337' E 078°24.212') it passes village Sikatara (GPS N 26°52.486' E 078°24.645'), then through farmland it goes to Baghraina Chauraha & passing through village Badaus (GPS N 26°51.079' E 078°27.182') & Agricultural land it reaches to village Jhauka Pura (GPS N 26°49.825' E 078°31.312'). Likewise, while passing in clockwise direction towards Pinahat-Nadgawan road side road connecting to village Devpura (GPS N 26°48.360' E 078°38.939').

After that along Nadgawan-Jaipur road in clockwise direction through farmlands, proposed Eco-sensitive Zone boundary reaches to a brick kiln of village Paharpura (GPS N 26°49.425' E 078°41.567'). Similarly along with Bah-Udi Road in clockwise direction from village Pyrampura it passes through Udhannapura Railway Bridge (GPS N 26°50.171' E 078°47.744') then through farmlands it goes to Railway Bridge of Ram nagaria (GPS N 26°49.176' E 078°45.282'), again through farmlands to Shahpur Gujar & in clockwise direction upto 1 km from Eastern boundary of Bah range (GPS N 26°48' 12.1" E 078°47' 22.1") then going near village Bahadurpur (GPS N 26°48' 1.45" E 078°47' 57.45") it passes through farmland along Bah-Udi road in front of Pachhaygaon Chauraha (GPS N 26°46' 11.12" E 078°51' 47.48"), then passing through farmlands of village Nayakpura, Kumhera, Chandrapura Khurd & Mankapura it reaches near railway line in front of Badhpura Chauraha (GPS N 26°44' 26.11" E 078°55' 12.43"). After that it crosses Udi-Etawah road (GPS N 26°43' 30.72" E 078°57' 46.98") then it goes towards Chakarnagar through farmlands of village Nagla Ajit, Rami ka War, Poothan and in front of Chikni tower near Mihauli road (GPS N 26°39' 48.71" E 079°01' 19.12"). Similarly, along the Udi-Chakarnagar road it passes through farmalands of village Kasaua, Nagla Kathori, Neemadhad and towards Lakhana Road from Chakarnagar it reaches till Dibhauli bridge (GPS N 26°36' 38.72" E 079°07' 12.78").


From Dibhauli Bridge of Yamuna river the proposed Eco-sensitive Zone passes through Private land forest land towards Andawa ki Madiya & after crossing Sikarodi Bridge (GPS N 26°32' 35.41" E 079°14' 56.17") again through private land/forest land reaches to village Asewa (GPS N 26°28' 43.31" E 079°16' 53.15") then through village Anniruddha Nagar, Nagla Mahew Bardauli it goes to Tatarpur (GPS N 26°26' 00.68" E 079°13' 46.26"). After that near Tatarpur crossing Yamuna it goes from Kanjousa bridge near Jagammanpur road (GPS N 26°25' 49.73" E 079°12' 48.91") and passing near village Chaurela (GPS N 26°26' 36.678" E 079°09' 09.35") the bank of Kwari river from Kanjousa bridge through private land/forest land reaches Sindat (GPS N 26°28' 35.66" E 079°05' 52.32") on Hanumantpura-Sindaus road. After that from Kwari river bridge along with bank of Kwari river it passes through Madhya Pradesh –Uttar Pradesh border and reaches near Vindwan village the State boundary of Madhya Pradesh-Uttar Pradesh (GPS N 26°35' 43.91" E 079°58' 52.88") and reaches the point near the bank of Chambal river (GPS N 26°36' 35.00" E 079°00' 35.02").

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF THE NATIONAL CHAMBAL WILDLIFE SANCTUARY IN THREE STATES OF INDIA




## ANNEXURE- IIB

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE NATIONAL CHAMBAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH  
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI)  
TOPOSHEET**


ANNEXURE- IIC

**DIGITAL MAP OF THE NATIONAL CHAMBAL WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**




ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE NATIONAL CHAMBAL WILDLIFE SANCTUARY  
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



**LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE NATIONAL CHAMBAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



## ANNEXURE-III

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF THE NATIONAL CHAMBAL WILDLIFE SANCTUARY**

<b>Geo-coordinates along the National Chambal Sanctuary of Eastern Part</b>		
<b>Sl. No.</b>	<b>Latitude (N)</b>	<b>Longitude (E)</b>
1	26°46'9.19"N	78°45'53.87"E
2	26°45'37.00"N	78°49'14.28"E
3	26°42'7.51"N	78°51'47.33"E
4	26°41'51.07"N	78°56'5.95"E
5	26°39'28.13"N	78°56'43.43"E
6	26°38'36.39"N	78°59'39.48"E
7	26°36'49.77"N	78°0'43.21"E
8	26°35'34.86"N	78°58'45.66"E
9	26°34'43.12"N	79°0'0.12"E
10	26°32'42.80"N	79°0'22.62"E
11	26°30'49.59"N	79°2'25.90"E
12	26°29'11.21"N	79°4'38.47"E
13	26°27'6.69"N	79°10'32.09"E
14	26°26'22.99"N	79°12'42.97"E
15	26°26'28.35"N	79°13'16.82"E
16	26°28'43.78"N	79°16'18.33"E
17	26°31'25.92"N	79°18'13.44"E
18	26°33'24.48"N	79°12'37.77"E
19	26°36'6.60"N	79°7'12.09"E
20	26°34'54.36"N	79°4'11.78"E
21	26°38'16.37"N	79°0'57.64"E
22	26°41'0.24"N	78°59'51.53"E
23	26°43'55.34"N	78°55'1.17"E
24	26°47'34.12"N	78°47'28.79"E

<b>Geo-coordinates along the National Chambal Wildlife Sanctuary of Western Part</b>		
1	26°51'57.80"N	78°12'3.60"E
2	26°49'45.17"N	78°12'50.43"E
3	26°48'52.34"N	78°16'7.16"E
4	26°51'58.08"N	78°21'58.36"E
5	26°49'30.30"N	78°25'48.32"E
6	26°46'43.94"N	78°31'29.40"E
7	26°46'18.88"N	78°37'36.25"E
8	26°47'38.70"N	78°42'48.76"E
9	26°46'9.30"N	78°45'53.75"E
10	26°47'36.08"N	78°47'28.65"E
11	26°49'31.47"N	78°42'58.66"E
12	26°48'52.83"N	78°36'42.95"E
13	26°49'7.33"N	78°33'53.38"E
14	26°50'5.52"N	78°28'14.68"E



15	26°53'38.74"N	78°21'39.73"E
16	26°52'22.77"N	78°15'42.88"E

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE**

<b>Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone for Eastern Part</b>		
<b>Sl. No.</b>	<b>Latitude (N)</b>	<b>Longitude (E)</b>
1	26°25'49.73"N	79°12'48.91"E
2	26°26'0.68"N	79°13'46.26"E
3	26°26'36.67"N	79°9'9.35"E
4	26°28'35.66"N	79°5'52.32"E
5	26°28'43.31"N	79°16'53.15"E
6	26°32'35.41"N	79°14'56.17"E
7	26°35'43.91"N	78°58'52.88"E
8	26°36'38.72"N	79°7'12.78"E
9	26°39'48.71"N	79°1'19.12"E
10	26°43'30.72"N	78°57'46.98"E
11	26°44'26.11"N	78°55'12.43"E
12	26°46'11.12"N	78°51'47.48"E
13	26°47'34.20"N	78°49'7.04"E
14	26°47'36.50"N	78°47'27.10"E
15	26°48'1.45"N	78°47'57.45"E
<b>Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone for Western Part</b>		
<b>Sl. No.</b>	<b>Latitude (N)</b>	<b>Longitude (E)</b>
1	26°48'0.81"N	78°47'52.12"E
2	26°48'19.83"N	78°39'23.25"E
3	26°49'7.78"N	78°46'11.07"E
4	26°49'18.44"N	78°32'51.91"E
5	26°49'22.49"N	78°36'54.74"E
6	26°49'58.40"N	78°30'21.70"E
7	26°50'18.98"N	78°41'15.98"E
8	26°52'26.38"N	78°11'45.47"E
9	26°52'34.77"N	78°24'46.41"E
10	26°52'39.85"N	78°15'14.35"E
11	26°54'6.22"N	78°15'49.16"E
12	26°54'10.78"N	78°21'43.87"E

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER EASTERN AND WESTERN PARTS OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND THE NATIONAL CHAMBAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No.	Village Name	Part	Latitude	Longitude
1.	AHERIYA	Eastern Part	26° 34' 39.90" N	79° 5' 11.22" E
2.	ANDAVAKIMANDHIYA		26° 33' 50.10" N	79° 11' 36.06" E
3.	ANURUDHNAGAR		26° 28' 25.20" N	79° 16' 15.00" E
4.	ASEVA		26° 29' 12.50" N	79° 16' 16.70" E
5.	ASEVATA		26° 30' 4.60" N	79° 16' 18.30" E
6.	BADAIRA		26° 32' 51.89" N	79° 13' 42.49" E
7.	BAHADURPURA		26° 47' 52.20" N	78° 47' 47.46" E
8.	BARDOLI		26° 26' 53.30" N	79° 14' 22.90" E
9.	BAVAIN		26° 28' 43.00" N	79° 16' 35.20" E
10.	CHAKARNAGAR		26° 34' 22.44" N	79° 6' 9.48" E
11.	CHANDARPURAKALAN		26° 45' 49.01" N	78° 51' 28.33" E
12.	CHORELA		26° 27' 19.00" N	79° 9' 42.00" E
13.	DALIPNAGAR		26° 34' 42.30" N	79° 11' 36.00" E
14.	GOHANI		26° 31' 37.90" N	79° 15' 0.39" E
15.	JAITPURA		26° 45' 4.32" N	78° 52' 40.74" E
16.	KAITHOLI		26° 30' 7.80" N	79° 16' 42.10" E
17.	KANJOSA		26° 26' 5.80" N	79° 12' 37.50" E
18.	KASOA		26° 38' 26.28" N	79° 0' 53.94" E
19.	MANDHIYADILIPNAGAR		26° 35' 29.16" N	79° 9' 19.86" E
20.	MANIKAPURA		26° 44' 18.81" N	78° 54' 30.52" E
21.	MANINAGAR		26° 46' 19.62" N	78° 50' 33.96" E
22.	NAGLAAJEET		26° 43' 1.80" N	78° 57' 5.40" E
23.	NAGLABANARAS		26° 27' 25.20" N	79° 15' 35.10" E
24.	NAGLAKARORI		26° 36' 16.20" N	79° 2' 16.44" E
25.	NAGLAMAHEVA		26° 27' 25.20" N	79° 15' 35.00" E
26.	NEEMDANDA		26° 34' 28.68" N	79° 4' 30.96" E
27.	PACHHAYENGAONMODE		26° 45' 8.93" N	78° 51' 8.14" E
28.	PATHADILIPNAGAR		26° 35' 36.06" N	79° 10' 35.82" E
29.	PHOOTATAAL		26° 34' 47.82" N	79° 4' 51.66" E
30.	POOTHAN		26° 42' 16.08" N	78° 58' 58.20" E
31.	PURANIDHANSINGH		26° 47' 6.42" N	78° 49' 11.28" E
32.	RAMIKAVAR		26° 42' 36.60" N	78° 58' 29.94" E
33.	RAMPURA		26° 29' 58.10" N	79° 16' 42.10" E
34.	SAGRA		26° 34' 35.70" N	79° 6' 16.02" E
35.	SARAYTAAL		26° 46' 38.40" N	78° 50' 6.36" E
36.	SIKRORI		26° 32' 25.30" N	79° 14' 36.00" E
37.	SITAPUR		26° 46' 51.06" N	78° 50' 12.48" E
38.	TILAKSINGHKAPURA		26° 47' 11.46" N	78° 48' 54.90" E
39.	TTARPUR		26° 26' 39.60" N	79° 13' 46.00" E
40.	UDIMODE		26° 43' 7.20" N	78° 57' 25.08" E
41.	UGHANNPURA		26° 44' 46.32" N	78° 53' 30.24" E

Sl. No.	Village Name	Part	Latitude	Longitude
---------	--------------	------	----------	-----------

1.	ABHAYPURA	<b>Western Part</b>	26° 49' 16.00" N	78° 33' 13.70" E
2.	BAGHRAINAHAAR		26° 50' 48.60" N	78° 27' 1.70" E
3.	CHACHIHA		26° 50' 26.37" N	78° 23' 11.73" E
4.	CHAKARPANPURA		26° 49' 2.60" N	78° 31' 57.70" E
5.	CHHADDAMIPURA		26° 51' 55.20" N	78° 25' 12.00" E
6.	CHUNNILALKAPURA		26° 49' 26.50" N	78° 31' 11.40" E
7.	GARIPRATAPPURA		26° 48' 0.00" N	78° 46' 0.30" E
8.	GARIRAMPURA		26° 49' 25.88" N	78° 40' 38.09" E
9.	ISYOUPURA		26° 49' 24.21" N	78° 45' 10.58" E
10.	JAITPURKALAN		26° 49' 44.64" N	78° 41' 34.62" E
11.	KARANPURA		26° 48' 0.16" N	78° 38' 41.34" E
12.	KARKOLIPURA		26° 53' 58.90" N	78° 18' 10.60" E
13.	KHAJURIYANPURA		26° 49' 0.73" N	78° 35' 22.92" E
14.	KORTHANAH		26° 48' 0.00" N	78° 46' 52.70" E
15.	KUKAPUR		26° 48' 48.68" N	78° 46' 35.54" E
16.	KURKIANPURA		26° 52' 0.50" N	78° 12' 15.50" E
17.	KYORIHAAR		26° 51' 31.00" N	78° 25' 9.70" E
18.	MAJHTILA		26° 49' 24.50" N	78° 36' 44.53" E
19.	MANSUKHPURAKAPURVA		26° 52' 4.80" N	78° 14' 25.10" E
20.	MUKUNDIPURA		26° 49' 11.35" N	78° 31' 39.52" E
21.	NAYEPURA		26° 49' 40.14" N	78° 44' 27.31" E
22.	OANDH		26° 53' 58.70" N	78° 17' 27.80" E
23.	PADUAPURAHAAAR		26° 53' 44.80" N	78° 19' 39.20" E
24.	PAPRINAGAR		26° 53' 53.40" N	78° 16' 8.40" E
25.	PURAAANURUDH		26° 52' 39.90" N	78° 12' 7.90" E
26.	PURAVASONI		26° 49' 51.84" N	78° 27' 35.04" E
27.	RAIPURADIKCHHIT		26° 48' 46.62" N	78° 40' 31.26" E
28.	RAMNAGRIYA		26° 49' 0.00" N	78° 45' 14.10" E
29.	RANIBAG		26° 48' 41.16" N	78° 37' 6.78" E
30.	SARDADEVI		26° 49' 41.52" N	78° 29' 42.24" E
31.	SHAHPURAGUJAR		26° 48' 0.00" N	78° 47' 36.70" E
32.	SIJVARIPURA		26° 49' 36.30" N	78° 42' 31.80" E
33.	SURAKAPURA		26° 49' 0.00" N	78° 45' 26.80" E
34.	UDHANPURA		26° 49' 56.74" N	78° 43' 29.49" E
35.	UMRAITHAHAAR		26° 51' 11.40" N	78° 25' 46.70" E
36.	VARKAPURA		26° 52' 29.50" N	78° 24' 14.00" E
37.	VEERAMPUR		26° 49' 2.04" N	78° 30' 39.00" E
38.	VIPRAWALIHAAR		26° 53' 54.30" N	78° 21' 30.50" E

**Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.